कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में, पत्रांक– 1374 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 22 जनवरी, 2024

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 11258/2015)

संदर्भ :– भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी./यू. सी.पी./06/174/2016/1311 दिनांक 17.11.2016।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1607/12–1(2) दिनांक 26.12.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित 1.485 हैक्टेयर भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 हैक्टेयर ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रखरखाव योजना हेतु संशोधित धनराशि रू0 752396.00 जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्वामित्व वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कर दिया गया है एवं खतौनी मूल में संलग्न की गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि रू0 1254824.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार

	Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेपित की जाए।	एन.पी.वी. तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की धनराशि रू0 2007220.00 प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा जनरेट कर जमा कर दी गयी है एवं प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न की गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनवद्वता प्रेपित की जानी है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कमदेपजल को त्मअपमू करने के उपरान्त सही density एवं NPV दर के अनुसार NPV आगणन की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेपित की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा कमदेपजल को त्मअपमू करने के उपरान्त सही कमदेपजल एवं एन.पी.वी. दर के अनुसार एन.पी.वी. डिमाण्ड नोट संलग्न कर दिया गया है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑन लाईन uploaded चन्थरखाड़ी ग्राम सभा हेतु VLC meeting proceeding under FRA की original copy प्रेषित की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन अपलोड चन्थरखाड़ी ग्राम सभा की वनाधिकार प्रमाण पत्र में V.L.C. Meeting dh Original Copy संलग्न कर प्रेपित की गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा original copies of maps for the area proposed for diversion and area proposed for CA प्रेपित किये जायेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग के मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मैप की मूल प्रति संलग्न कर प्रेपित की गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेपित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1374 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9/C

193

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक –1603 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 26-12-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाडी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 174 / 2016 / एफ0सी0 / 1311 दिनांक 17.11.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1/48716 दिनांक 21.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण/भूमि संरक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 2696
पत्रावली 12-1
दिनांक 3-1-24

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

सां०अ० / प्रभारी अल्मोड़ा।
आ० का० में।

2-1-24

22 DEC 2023

1/48716/2023

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1/48716 /वनभूमि/ई–ऑफिस अल्मोड़ा दिनांक 21-12-2023

सेवा में,

वन सरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :— भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी./यू.सी.पी./06/174/2016/1311 दिनांक 17.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 8 बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है। जिसकी प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है—

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित 1.485 हैक्टेयर भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 हैक्टेयर ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रखरखाव योजना हेतु संशोधित धनराशि ₹ 752396.00 जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्वामित्व वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कर दिया गया है एवं खतौनी मूल में संलग्न की गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि ₹ 1254824.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या—5—3/2007—एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की धनराशि ₹ 2007220.00 प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा जनरेट कर जमा कर दी गयी है एवं प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न की गयी है।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

ग्राम . चन्थरखाणी , राजु०नि० सेग० खाल्यों

1/48716/2023

5	सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्वता प्रेषित की जानी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा density को Review करने के उपरान्त सही density एवं NPV दर के अनुसार NPV आगणन की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा Density को Review करने के उपरान्त सही density एवं एन.पी.वी. दर के अनुसार एन.पी.वी. डिमाण्ड नोट संलग्न कर दिया गया है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑन लाईन uploaded चन्थरखाड़ी ग्राम सभा हेतु VLC meeting proceeding under FRA की original copy प्रेषित की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन अपलोड चन्थरखाड़ी ग्राम सभा की वनाधिकार प्रमाण पत्र में V.L.C. Meeting की Original Copy संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा original copies of maps for the area proposed for diversion and area proposed for CA प्रेषित किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग के मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मैप की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को भेजने की कृपा करें, ताकि प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 4–4 प्रतियों में।

भवदीय

Signed by Deepak Singh
Date: 19-12-2023 12:13:52

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम चन्थरखाड़ी की VLC Meeting की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा Density को Deview करने के उपरान्त सही Density एवं एन0पी0वी0 दर के अनुसार व डिमाण्ड नोट के अनुसार एन0पी0वी0 जमा कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभ
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की वर्तमान निर्धारित धनराशि विभाग द्वारा जमाकर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

[illegible]

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए श्रीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा 1.485 है0 भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल भूमि का वन भूमि के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी गयी है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। खतौनी प्रेषित की जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

प्रान्त

स्पाददारा सिनाश मोबा ग्राम . चमारखाणी ; राजुनि. रोग. खाल्यों

	FP/UK/ROAD/10541/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10541/2015) Const. of Peepna Kola Rankuna Gohali motor road	ROAD105412015779	113105412015779	09 Dec 2016	CA: 2120389/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2749545/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4869934/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811161252 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
23	FP/UK/ROAD/10859/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10859/2015) Const of Tarari Dabhara Shashikhal motor road.	ROAD108592015496	113108592015496	10 Dec 2016	CA: 2485187/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3222585/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5707772/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811161247 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
24	FP/UK/ROAD/11258/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11258/2015) Dheghat - Nagchula To Chanterkhali -Kaliyalingudh Dhipa Bend Motor Road.	ROAD112582015669	113112582015669	17 Nov 2016	CA: 752396/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1254824/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2007220/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Sep 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Sep 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811171237 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
25	FP/UK/ROAD/19725/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19725/2016) Const of Dabour Ghatti to Baina motor road.	ROAD197252016067	113197252016067	29 Dec 2016	CA: 1094394/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1419120/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2513514/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811912241 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
26	FP/UK/ROAD/17937/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/17937/2016) Ganiadoli Pali Nadul motor road Km 3 to Dholadhar motor road	ROAD179372016021	113179372016021	23 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 266085/-, Plantation of 10 times trees effected by the proje : 240000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 506085/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Jun 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Jun 2017 Transaction Date : 13 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5113112912164AI9QGania Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
27	FP/UK/ROAD/18403/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18403/2016) Const. of Bayedi motor road from Km 17 of Billekh Chapad Hidam motor road	ROAD184032016978	113184032016978	30 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 620865/-, Cost of road side/ gap filling plantation : 1200000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1820865/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Jun 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Jun 2017 Transaction Date : 13 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/51131121912160QGPFBille Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.

173

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdranl@yahoo.com

पत्रांक 4317 / 36 सी   दिनांक रानीखेत 16/11 ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी./यू.सी.पी./06/174/2016/1311 दिनांक 17.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित 1.485 हैक्टेयर भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफ लमें 3.00 हैक्टेयर ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना हेतु संशोधित धनराशि ₹ 752396.00 जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्वामित्व वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कर दिया गया है। खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि ₹ 1254824.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की दरों में वृद्धि होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बढी हुई दर के अनुसार ₹ 1254824.00 जमा कर दी गयी है। एन.पी.वी. की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की धनराशि ₹ 2007220.00 प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा जनरेट कर जमा कर दी गयी है। प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो सकें सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा density को Review करने के उपरान्त सही density एवं NPV दर के अनुसार NPV आगणन की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	विभाग द्वारा Density को Review करने के उपरान्त सही density एवं एन.पी.वी. दर के अनुसार एन.पी.वी. डिमाण्ड नोट प्रेषित किया जा रहा है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑन लाईन uploaded चन्थरखाड़ी ग्राम सभा हेतु VLC meeting proceeding under FRA की original copy प्रेषित की जाएगी।	विभाग द्वारा ऑन लाईन अपलोड चन्थरखाड़ी ग्राम सभा की वनाधिकार प्रमाण पत्र में V.L.C. Meeting की Original Copy संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा original copies of maps for the area proposed for diversion and area proposed for CA प्रेषित किये जायेंगे।	विभाग द्वारा मोटर मार्ग के मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मैप की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्न</u> :– <u>उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में</u>।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 4317 /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16.11.23

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

22	FP/UK/ROAD/10541/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10541/2015) Const. of Peepna Kola Rankuna Gohali motor road	ROAD105412015779	113105412015779	09 Dec 2016	CA: 2120389/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2749545/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4869934/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811161252 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
23	FP/UK/ROAD/10859/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10859/2015) Const of Tarari Dabhara Shashikhal motor road.	ROAD108592015496	113108592015496	30 Dec 2016	CA: 2485187/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3222585/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5707772/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811161247 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
24	FP/UK/ROAD/11258/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11258/2015) Dheghat - Nagchula To Chanterkhali -Kaliyalingudh Jhipa Bend Motor Road.	ROAD112582015669	113112582015669	17 Nov 2016	CA: 752396/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1254824/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2007220/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Sep 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Sep 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811171237 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
25	FP/UK/ROAD/19725/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19725/2016) Const of Dabour Ghatti to Baina motor road.	ROAD197252016067	113197252016067	29 Dec 2016	CA: 1094394/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1419120/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2513514/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 Aug 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811912241 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
26	FP/UK/ROAD/17937/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/17937/2016) Ganladoli Pali Nadul motor road Km 3 to Dholadhar motor road	ROAD179372016021	113179372016021	23 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 266085/-, Plantation of 10 times trees effected by the proje : 240000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 506085/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Jun 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Jun 2017 Transaction Date : 13 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5113112912164AI9QGanla Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
27	FP/UK/ROAD/18403/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18403/2016) Const. of Bayedi motor road from Km 17 of Billekh Chapad Hidam motor road	ROAD184032016978	113184032016978	30 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 620865/-, Cost of road side/gap filling plantation : 1200000/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1820865/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Jun 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Jun 2017 Transaction Date : 13 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/51131121912160QGPFBille Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.

Scanned with OKEN Scanner

(1p)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूर भाषा: 0135&2750809]
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 174 / 2016 / /311

दिनांक: 17.11. 2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद–अल्मोड़ा, के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–893 / X-4-16/1(283)/2016 दिनांक– 06.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/11258/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा--2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा मे देघाट–नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता मे Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सडक के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा density को Review करने के उपरान्त सही density एवम् NPV दर के अनुसार NPV आगणन की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन में uploaded चन्थरखाड़ी ग्राम सभा हेतु VLC meeting proceedings under FRA की original copy प्रेषित की जाएगी।

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा original copies of maps for the area proposed for diversion and area proposed for CA प्रेषित किये जायेगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तो के साथ प्रदान की जाएगी :-

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.00 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर द्वारा सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

9 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 से अधिक न हो।

10 सडक के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation किया जाएगा।

11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

13 यदि सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली

2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी देहरादून, उत्तराखण्ड।

3 आदेश पत्रावली

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

trilokbalwal1981@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम चन्थरखाड़ी की VLC Meeting की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा Density को Deview करने के उपरान्त सही Density एवं एन0पी0वी0 दर के अनुसार व डिमाण्ड नोट के अनुसार एन0पी0वी0 जमा कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की वर्तमान निर्धारित धनराशि विभाग द्वारा जा कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा 1.485 है0 भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल भूमि का वन भूमि के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी गयी है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। खतौनी प्रेषित की जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा 1.485 है0 भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 है0 ग्राम चन्थरखाड़ी की सिविल भूमि का वन भूमि के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी गयी है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। खतौनी प्रेषित की जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई है बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

(2)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1922/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 30-9-2022

सेवा में,

क्रमांक सं० 3953
कार्यालय सं० 3611
दिनांक 03/10/22

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत।

विषय – एन०पी०वी० की नई दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1257/P.O. दिनांक 03.06.2022।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्वान्तिक स्वीकृति 06.01.2017 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में आपके द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके तहत आपके द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है। आपके द्वारा निम्नानुसार एन०पी०वी० की राशि जमा किये जाने व पूर्ण अनुपालन आख्या को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकरण में पूर्व में एन०पी०वी० की धनराशि जमा कर दी गयी है तो उसकी रसीद संलग्न करें और अतिरिक्त धनराशि ही जमा करायें। इसके अतिरिक्त यदि आपके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है तो पूर्ण धनराशि एन०पी०वी० की नवीन दरों के अनुसार ही जमा की जायेगी।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	एन०पी०वी० की जमा धनराशि	एन०पी०वी० की नवीन दरों के अनुसार धनराशि	जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	11258 /2015	Dheghat - Nagchula To Chanterkhali -Kaliyalingudh Jhipa Bend Motor Road.	1254825	1919882	1919882 (पूर्व निर्धारित एन०पी०वी० धनराशि वर्तमान तक जमा नहीं की गयी है।)

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

AE(D) / Ammy
EE

LT File/Land transfer letter 2022

Scanned with OKEN Scanner

सीमांकन

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 02-09-2023 को जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूला(खाल) से चम्परखाड़ी-कालीमालीगुड़ सीपा रोड हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का स्थलीय निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लो0 निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण उक्त क्षेत्र में पौधारोपण हो चुका है। पौधारोपण भी चम्परखाड़ी-कालीमालीगुड़ सीपा रोड मोटर मार्ग के ही सापेक्ष हुआ है।

अतः आख्या सादर प्रेषित

(हस्ताक्षर)
गोविन्द सिंह बनवाल
अमीन
प्रा0 खण्ड लो0 नि0वि0
रानीखेत

(हस्ताक्षर)
यशपाल सिंह
रा.उ. नि. भवाली

(हस्ताक्षर)
विक्रम सिंह नेगी
रिटे. रेन्जर

(हस्ताक्षर)
नित्यपाल सिंह बिष्ट
वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासल बीट

(हस्ताक्षर)
भवान सिंह
वन बीट अधिकारी
नाला नगरी

(हस्ताक्षर)
महेन्द्र पाल कामलेश
अ0 अभि0 अभियन्ता
प्रा0 खं0, लो0नि0वि0
रानीखेत

(हस्ताक्षर)
गोविन्द बल्लभ भट्ट
सहा0 अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो.नि.वि.
रानीखेत

खतौनी गैर जमींदारा विनाश मौजा ग्राम. चचरखाणी, रा०नि० सेग-खाल्यों
तहसील स्याल्दे (अल्मोड़ा)

श्रेणी 9(3) - बंजर काबिल आबाद.

क्रमांक	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खेत नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टे० में)	विवरण
001	0038/53	बंजर काबिल आबाद	9	0.021	कार्यालय जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा सं०-110/ग्यारह-06/2018-19 दिनांक 02-01-19 के क्रम में जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत देघाट-नागचूला मार्ग से चचरखाणी वालियालीगूंठ होते हुये डीपा बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.485 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 2.970 है० सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के अधीन हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(129)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर-2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी स्याल्दे के पत्रांक 02/विविध/2018-19 ... अक्टूबर 2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 3028/36 ट दिनांक 16-11-2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निकनपत्र, अभिलेखों सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिनांक 17.0.18 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, खसरा, मानचित्र एवं निर्धारित प्रारूप-2 तथा उपजिलाधिकारी स्याल्दे की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय न्यू फॉरेस्ट देहरादून के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/174/2016/1311 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम चचरखाणी रा०नि० सेग-खाल्यों तहसील स्याल्दे के गैर जमींदारा खाता सं०-38/53 की श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल भूमि के मैजाती खेत नम्बर-1778 मध्ये रकबा 0.372 है० तथा खेत नम्बर-1791 रकबा 2.598 अर्थात् 2 खेत नम्बरों की कुल 2.970 है० सिविल भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है। उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रस्तावित सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ... है। आज्ञा से। जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा
			23	0.004	
			25	0.008	
			28	0.006	
			|	|	
			1182	0.033	
			1183	0.010	
			1184	0.004	
			|	|	
			1775	0.544	
			1777	0.534	
			1778	1.097	
			1780	1.199	
			1782	0.345	
			1784	2.102	
			1786	0.104	
			1788	0.335	
			1789	0.535	
			1791	2.598	
			1792	0.189	
			|	|	
			73/2742	3.028	
			2730/2745	5.079	
			2760/2747	2.132	
			2760/2749	0.564.	
योग	01	01	648	70.457.	

9/8/...
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...खाल्यों...
तहसील...स्याल्दे...
जिला—अल्मोड़ा

कार्य का नाम :- झीपा बैण्ड कालीखालीगुढ चनतरखाली मोटर मार्ग का नव निर्माण

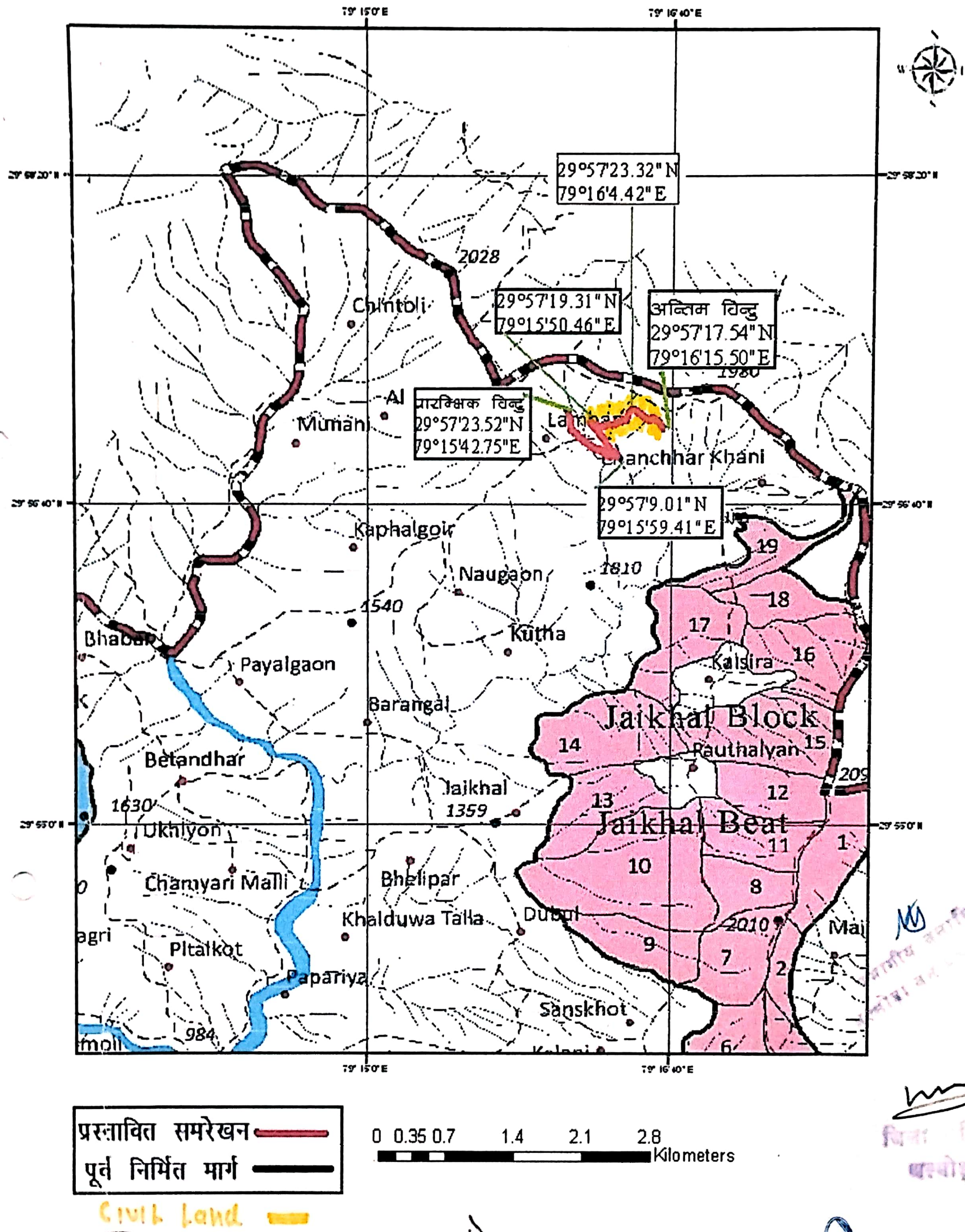

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

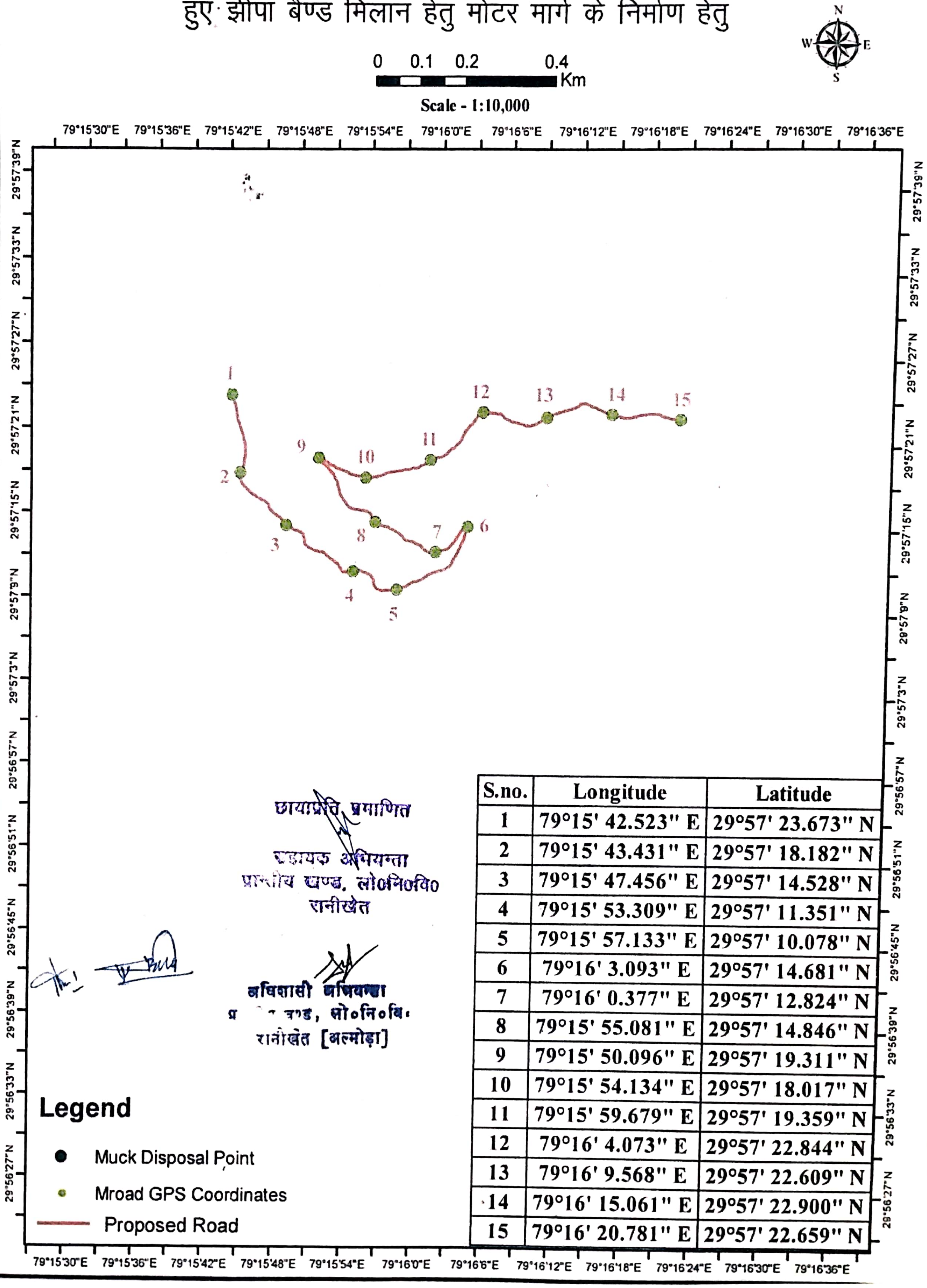

S.no.	Longitude	Latitude
1	79°15' 42.523" E	29°57' 23.673" N
2	79°15' 43.431" E	29°57' 18.182" N
3	79°15' 47.456" E	29°57' 14.528" N
4	79°15' 53.309" E	29°57' 11.351" N
5	79°15' 57.133" E	29°57' 10.078" N
6	79°16' 3.093" E	29°57' 14.681" N
7	79°16' 0.377" E	29°57' 12.824" N
8	79°15' 55.081" E	29°57' 14.846" N
9	79°15' 50.096" E	29°57' 19.311" N
10	79°15' 54.134" E	29°57' 18.017" N
11	79°15' 59.679" E	29°57' 19.359" N
12	79°16' 4.073" E	29°57' 22.844" N
13	79°16' 9.568" E	29°57' 22.609" N
14	79°16' 15.061" E	29°57' 22.900" N
15	79°16' 20.781" E	29°57' 22.659" N

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्र… खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत [अल्मोड़ा]

Scanned with OKEN Scanner

डिजिटल मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000

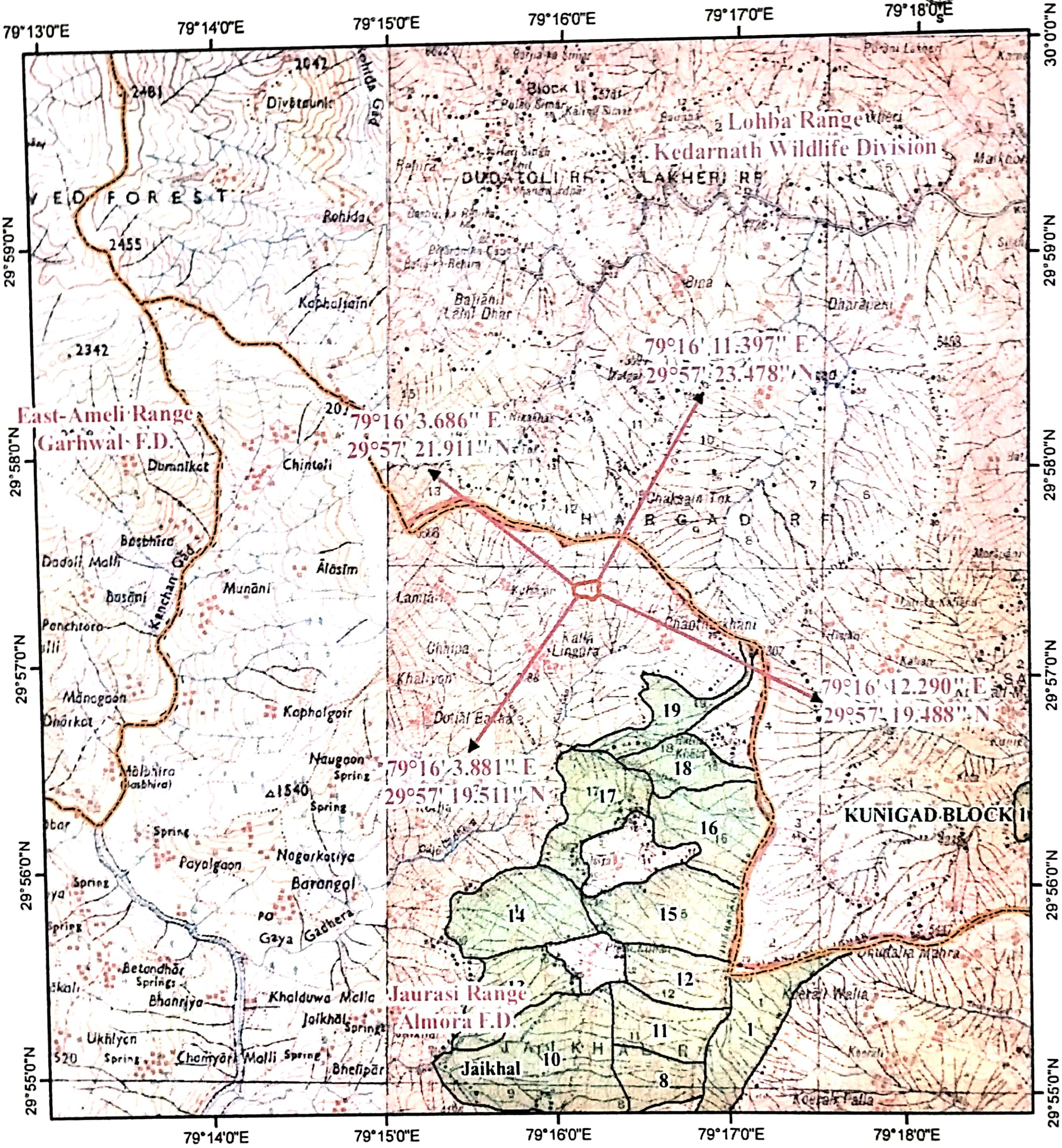

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

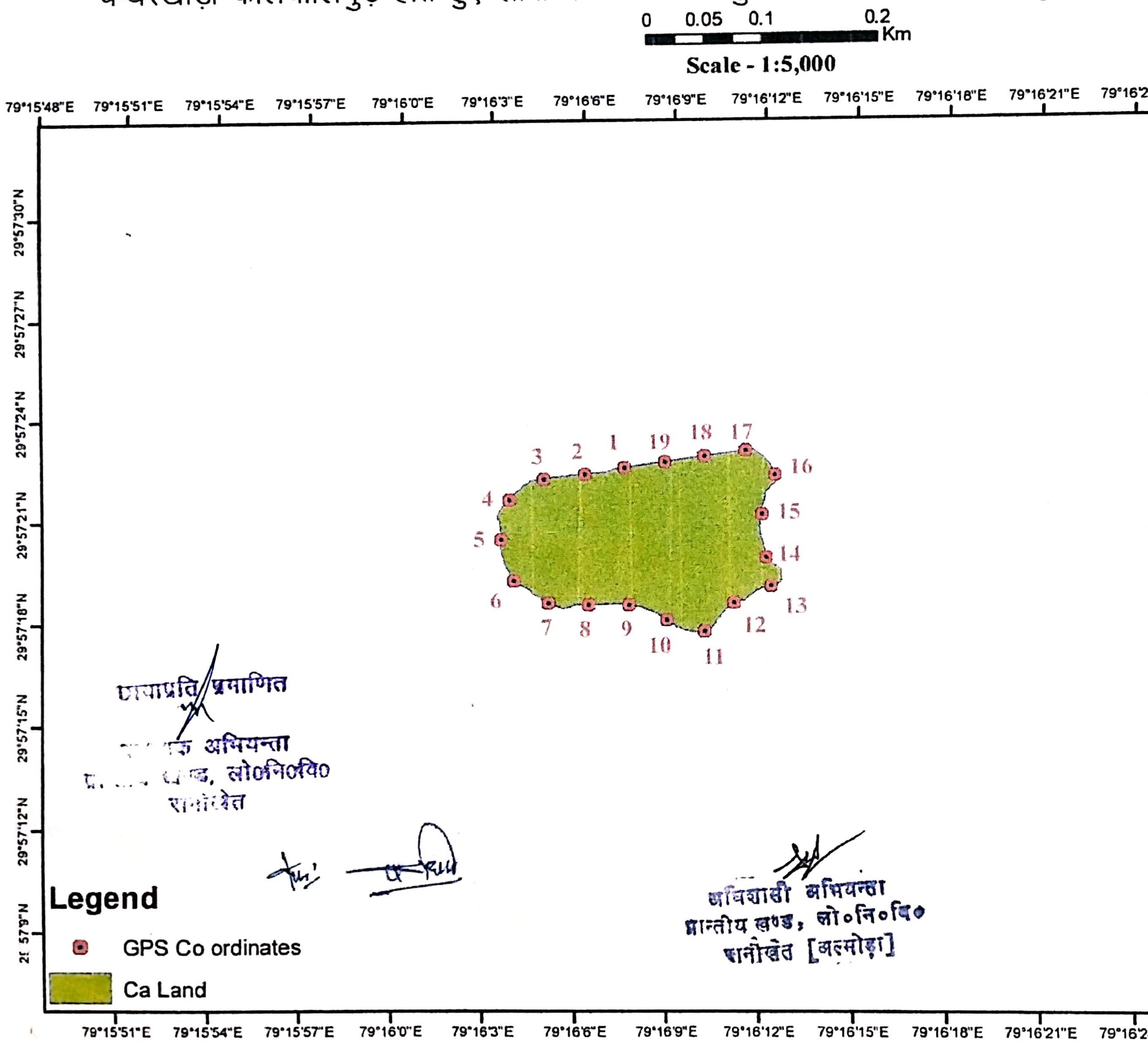

S.no.	Longitude	Latitude
1	79°16' 7.424" E	29°57' 22.915" N
2	79°16' 6.123" E	29°57' 22.692" N
3	79°16' 4.808" E	29°57' 22.529" N
4	79°16' 3.686" E	29°57' 21.911" N
5	79°16' 3.418" E	29°57' 20.724" N
6	79°16' 3.881" E	29°57' 19.511" N
7	79°16' 5.015" E	29°57' 18.847" N
8	79°16' 6.303" E	29°57' 18.823" N
9	79°16' 7.636" E	29°57' 18.829" N
10	79°16' 8.877" E	29°57' 18.406" N
11	79°16' 10.136" E	29°57' 18.089" N
12	79°16' 11.095" E	29°57' 18.962" N
13	79°16' 12.290" E	29°57' 19.488" N
14	79°16' 12.114" E	29°57' 20.318" N
15	79°16' 11.954" E	29°57' 21.602" N
16	79°16' 12.386" E	29°57' 22.772" N
17	79°16' 11.397" E	29°57' 23.478" N
18	79°16' 10.073" E	29°57' 23.290" N
19	79°16' 8.748" E	29°57' 23.103" N

छायाप्रति प्रमाणित
... अभियन्ता
... खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत [अल्मोड़ा]

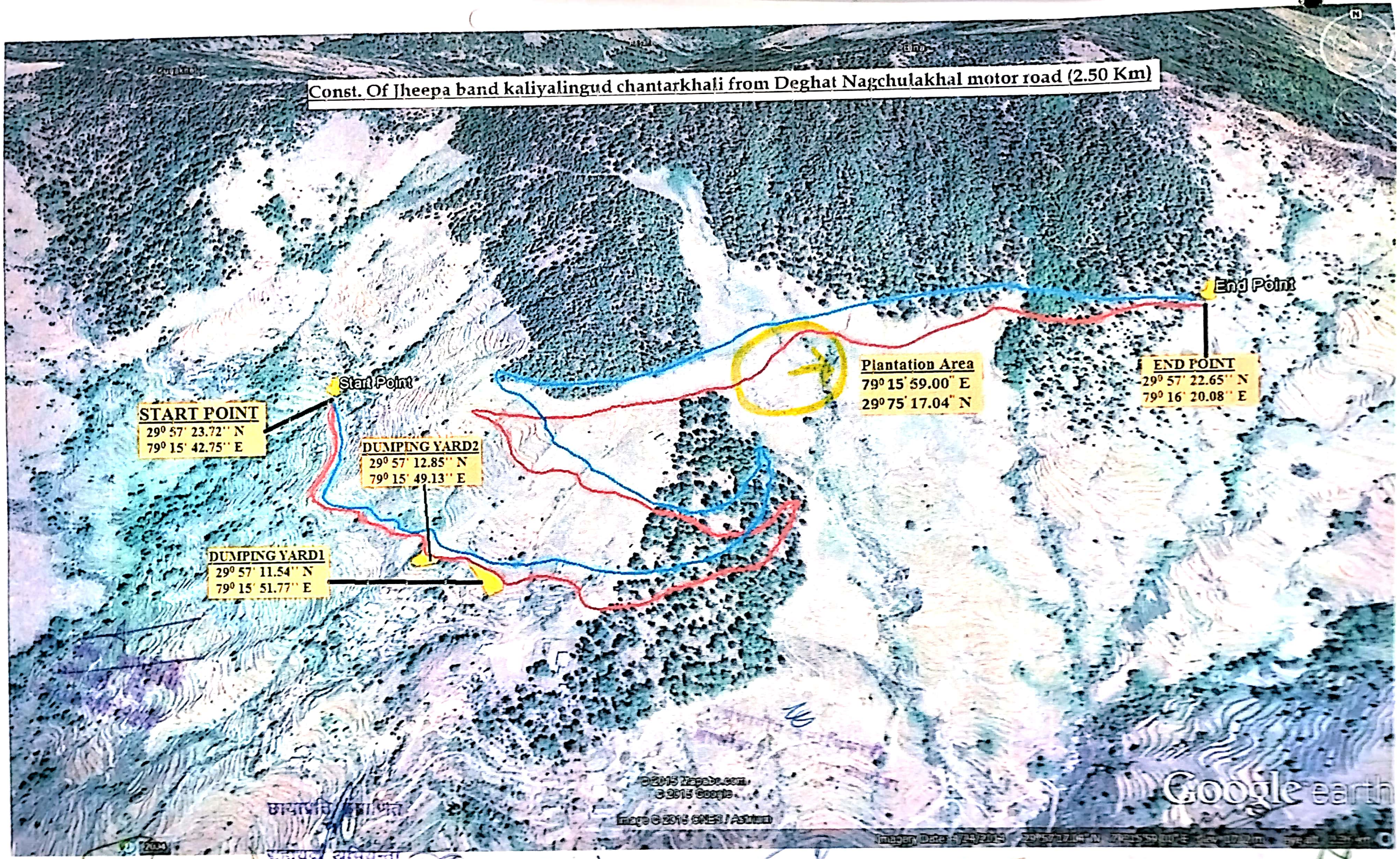

Const. Of Jheepa band kaliyalingud chantarkhali from Deghat Nagchulakhal motor road (2.50 Km)
Start Point
START POINT
29⁰ 57' 23.72'' N
79⁰ 15' 42.75'' E
DUMPING YARD2
29⁰ 57' 12.85'' N
79⁰ 15' 49.13'' E
DUMPING YARD1
29⁰ 57' 11.54'' N
79⁰ 15' 51.77'' E
Plantation Area
79⁰ 15' 59.00" E
29⁰ 75' 17.04" N
End Point
END POINT
29⁰ 57' 22.65'' N
79⁰ 16' 20.08'' E
Google earth

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– [illegible handwriting]

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – [illegible handwriting]
तहसील– [illegible handwriting], जिला– [illegible handwriting]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद –[illegible handwriting]– के अन्तर्गत –[illegible handwriting]– परियोजना के निर्माण हेतु (– x – हे0 आरक्षित वन भूमि, [illegible] हे0 सिविल सोयम भूमि, ... हे0, वन पंचायत भूमि – x – हे0) अर्थात कुल [illegible] हे0 वन भूमि का [illegible handwriting]—विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत [illegible handwriting] द्वारा दिनांक [illegible] को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [illegible handwriting] के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि [illegible handwriting] प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
... खण्ड, लो0नि0वि0
...

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक 15-3-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत काकीपालीगुड

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अमरसिंह	अमरसिंह
2	प्रेमसिंह	प्रेमसिंह
3	आलमसिंह	आलमसिंह
4	बदमसिंह	बदमसिंह
5	बचेसिंह	बचेसिंह
6	हरिराम	हरिराम
7	नन्दाबल्लभ	[illegible]
8	नारायणदत्त	नारायणदत्त
9	बचेसिंह राणा	बचेसिंह राणा
10	मोहनसिंह	मोहनसिंह
11	हयोराम	हयोराम

ह0/–
प्रेमसिंह
ग्राम प्रधान

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– चन्दरबाड़ी – कालियाखिमुड़

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रिखणीखाल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रिखणीखाल (धुमाकोट)

उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत धुमाकोट (—०— हे० आरक्षित वन भूमि, 1.485 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०....हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.485 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि०-प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धुमाकोट) की दिनांक 18-3-015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एस० एस० नागियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एस० एस० नागियाल उपजिलाधिकारी रिखणीखाल अध्यक्ष
2– श्री बी० के० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य/सचिव
4– श्री मदनसिंह बी०डी०सी० क्षेत्र चन्दरबाड़ी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चन्दरबाड़ी – कालियाखिमुड़ परियोजना हेतु 1.485 हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

Scanned with OKEN Scanner

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत नाथूखाली - बांवलीगांव किमिनर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.484 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे (भिकियासैंण)
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे / भिकियासैंण
जनपद अल्मोड़ा

प्रमाणित

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :– देघाट मांगभुला खाल से चन्यारखाड़ी–कोलियापानी

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

10.04.15

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा.

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Ameen Pramar Patra/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.4445 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

10.04.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector : Rudraprayag

No :......................................

Dated:...............

TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Recognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..1.485....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction....Chanthankhani – Kaliyaligun motor Road...

....

(Purpose for diversion of forest land) in..Almora...district falls within jurisdiction of..Chanthar Khani..village(s) in.....Syalde Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..1.485..Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent ot it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

10.06.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित
... अभियन्ता
... लो०नि०वि०
रानीखेत

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......10.04.15..............at time....11:00 AM.........at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring .1.435. hect. for the Construction of ..DEHAT-MAGCHULAKHAL mtr to CHHATHAR KHANI-KALIYALIGAUN [illegible] Road mtr.......... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Signature

10.04.15

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner